प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515000010300

सेवा मे,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या 1/शा0/ 55 /2014–1/21/2014 : लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2014

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03– पंचायतीराज, निदेशालय, परियोजना प्रबन्ध इकाई **(बी0आर0जी0एफ0)** के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक संयुक्त सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1815/33–3–2014–35/2014, दिनांक 04 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में वेतन भत्ता आदि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना प्रबन्ध इकाई **(बी0आर0जी0एफ0)** के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार **₹ 3876000/– (₹ अड़तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शतों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–2467/दस–2014–231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/8 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/8 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक व्यय न किया जाय।

3– सम्बन्धित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो समान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4– वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6– उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक –2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

7– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

8– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम–27 से कोई धनराशि आहरण न किया जाये।

9– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

10— आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुक्तानुसार बी0एम0—4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

11— यदि बी0एम0—4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

12— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

14— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

15— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को निम्न प्रकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:—

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10—02—2015 तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—02—2015 तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4— वर्ष 2014—15 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20—02—2015 तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—35 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ 55 /1/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन।
3—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0, इलाहाबाद।
4—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6—मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7—परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी0आर0जी0एफ0), उत्तर प्रदेश।
8—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-06/08/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-55-2014-1-21-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 002-21-2014

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - पंचायती राज निदेशालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13-टेलीफोन पर व्यय	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	42-अन्य व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	1280000 1920000	1376000 2016000	33000 50000	67000 100000	267000 400000	333000 500000	100000 150000	20000 30000	67000 100000	133000 200000	200000 300000	3876000 5766000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1280000 1920000	1376000 2016000	33000 50000	67000 100000	267000 400000	333000 500000	100000 150000	20000 30000	67000 100000	133000 200000	200000 300000	3876000 5766000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तीस लाख छिहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्तावन लाख छियासठ हजार

(शहजाद अहमद अंसारी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी